EX. जून 1971

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1971/ज्येष्ठ 11, 1893
No. 321] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1971/JYAISTHA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
CORRIGENDUM

INCOME-TAX

New Delhi, the 31st May 1971

S.O. 2271.—In the Order of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) published as S.O. 3770, dated the 19th November, 1970, at pages 1857-1858 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th November, 1970,—

(1) at page 1857—
(a) line 19-20, *for* "agreegate" *read* "aggregate";
(b) line 21, *for* "(2)" *read* "(b)";

(2) at page 1958, line 3, *for* "repeated" *read* "repealed";

[No. 165/F. No. 1(345)/68-TPL.Pt.]
R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 1971

का० आ० 2271.—दिनांक 19 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित एस० ओ० 3770 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

पृष्ठ–1858 :

1. पहले पैरा की दूसरी पंक्ति में 'करने' के स्थान पर कराने पढ़िए।

2. दूसरे पैरा की तीसरी पंक्ति में "आदेश के स्थान पर "आदेश" पढ़िए ।

3. उप–शीर्षक 1 में "सक्षिप्त नाम और प्रा भ" के स्थान पर "संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ" पढ़िए ।

4. उस शीर्षक 2 में "अवलिखि" के स्थान पर "अवलिखित" पढ़िए ।

5. अंतिम पंक्ति में "अनुज्ञान" के स्थान पर "अनुज्ञात" पढ़िए ।

पृष्ठ–1850 :

1. उप-शीर्षक "स्प टीकरण" के स्थान पर "स्पष्टीकरण" पढ़िए। और उसके आगे उसी पंक्ति में "पैरा प्रयोजन" के स्थान पर "पैरा के प्रयोजन" पढ़िए ।

2. "स्पष्टीकरण" उप-शीर्षक के अधीन पहले पैरा की तीसरी पंक्ति में "अधिकार" के स्थान पर "अधिकर" पढ़िए :

3. इसी उप-शीर्षक के अन्तर्गत दूसरे पैरा के अंत में "अभिप्रेत हैं" शब्दों को हटा कर अलग पैरा में रखें ।

4. अंतिम पंक्ति में "आर० एन० मुट्टू, अवर सचिव" के स्थान पर "आर० एन० मुट्टू, अपर सचिव" पढ़िए :

[सं० 165/एफ० सं० 1 (345)/68–टी० पी० एल० पी०टी०]

आर० एन० मुट्टू, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971